"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक/6885/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2005)

इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2005

इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) को संशोधित किये जाने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम, तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005" है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषा.

2. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अथवा अपेक्षित न हो :—

मूल अधिनियम से अभिप्रेत है, इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956)

खण्ड-12 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा-12 के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाये, अर्थात्—

(1) उपधारा (2) अथवा उपधारा (6) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित कम से कम तीन व्यक्तियों की सूची (पेनल) से कुलाधिपति द्वारा कुलपति की नियुक्ति की जायेगी :

परन्तु समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों में से कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित व्यक्ति नियुक्ति को स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखता हो तो कुलाधिपति ऐसी समिति से नई अनुशंसा प्राप्त कर सकता है.

(2) कुलाधिपति निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त करेगा :—

(एक) कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति ;

(दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति ;

(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति.

कुलाधिपति इन तीन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन समिति के गठन के लिए कुलाधिपति, कुलपति के कार्यकाल की समाप्ति के छ: माह पूर्व कार्यकारिणी समिति तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को अपने-अपने नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को चुनने के लिए कहेगा और यदि इस सम्बन्ध में वार्तालाप के एक माह के भीतर उक्त में से एक या दोनों अपने-अपने नामनिर्दिष्टों का चुनाव करने में असफल रहते हैं तो कुलाधिपति समिति के किसी व्यक्ति का नामनिर्दिष्ट कर सकेगा.

(4) उपधारा (2) के अधीन कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय अथवा किसी महाविद्यालय से सम्बन्धित हो, उसे समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचित या नामांकित नहीं किया जायेगा.

(5) समिति अपने गठन की तिथि से छः सप्ताह के भीतर अथवा कुलाधिपति द्वारा चार सप्ताह से अनधिक बढ़ाये गये समय के भीतर सूची (पेनल) प्रस्तुत करेगी.

(6) उपधारा (2) के अधीन गठित की गई समिति, किसी कारणवश यदि निर्धारित समयावधि में उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि में सूची प्रस्तुत करने में असफल रहे, तो कुलाधिपति एक अन्य समिति का गठन करेगा जिसमें ऐसे तीन व्यक्ति होंगे, जो विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से सम्बन्धित न हों, तथा जिनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में अभिहीत किया जायेगा तद्नुसार गठित समिति छः सप्ताह की कालावधि के भीतर या ऐसी लघुत्तर कालावधि, जैसी कि विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर जिसमें कम से कम तीन नाम होंगे, सूची प्रस्तुत करेगी.

(7) यदि उपधारा (6) के अधीन समिति उस उपखण्ड में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर सूची प्रस्तुत करने में असफल रहे तो कुलाधिपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसे वह उपयुक्त समझें, कुलपति नियुक्त कर सकेगा.

धारा 12-क का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 12-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाय, अर्थात्—

(1) कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा उसकी परिलब्धियां एवं सेवा शर्तें परिनियमों द्वारा निर्धारित होगी.

(2) कुलपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होगा तथा दो से अधिक कार्यकाल के लिए उसकी पात्रता नहीं होगी, परन्तु 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वह अपना कार्यकाल समाप्त करेगा ;

परन्तु उसकी सेवाकाल की समाप्ति के पश्चात् भी वह कुलपति के पद पर बना रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा नियुक्त व्यक्ति अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है, किन्तु यह कालावधि छः माह से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं होनी चाहिये.

(3) इस संशोधन अधिनियम, के प्रभावशील होने की तिथि के पूर्व नियुक्त कुलपति के द्वारा उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के प्रावधानों के बाद भी अपने कार्यकाल को पूर्ण करेगा.

(4) कुलपति की मृत्यु, उसके त्याग पत्र, अवकाश रूग्णता या अन्य कारणवश उसके पद रिक्त हो जाने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिसचिव और यदि कोई कुलाधिसचिव नियुक्त नहीं किया गया है अथवा यदि कुलाधिसचिव उपलब्ध नहीं है, तो किसी संकाय के अधिष्ठाता अथवा विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के वरिष्ठतम आचार्य कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित किया गया कुलपति के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जिसको कि, कोई कुलपति जो ऐसी रिक्ति भरने के लिए धारा 12 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया हो, यथास्थिति अपना पद ग्रहण या पुनःग्रहण नहीं कर लेता है.

परन्तु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया प्रबन्ध छः माह से अधिक कालावधि तक नहीं रहेगा.

धारा 12-ख का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 12-ख का लोप किया जाए.

धारा 13 में संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित को स्थापित किया जावे—

(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान प्रशासी तथा विद्याविषयक अधिकारी होगा. वह कार्यकारिणी समिति का तथा विद्या परिषद् का पदेन सदस्य तथा अध्यक्ष और वित्त समिति का अध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के ऐसे प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों का जिनका वह सदस्य हो, अध्यक्ष होगा. वह विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी समिति अथवा अन्य निकाय के किसी भी बैठक

में उपस्थित होने तथा बोलने का अधिकारी होगा, किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक अधिकारी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकारी, समिति या निकाय का सदस्य न हो.

(2) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्त्तव्य होगा कि, इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जा रहा है और उसे इस प्रयोजन के लिये समस्त आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी.

(3) कुलपति को कार्यकारिणी समिति, विद्या परिषद् के तथा विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों, समितियों तथा निकायों के जिनका वह अध्यक्ष हो, बैठक बुलाने की शक्ति होगी, वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा.

(4) यदि कुलपति की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जिसमें तुरन्त कार्रवाई की जाना अपेक्षित हो, तो कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् यथाशीघ्र अपनी कार्रवाई का प्रतिवेदन, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी, समिति या अन्य निकाय को, जो कि मामूली अनुक्रम में उस मामले के सम्बन्ध में कार्रवाई करेगा.

परन्तु कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से विश्वविद्यालय तीन माह से अधिक कालावधि के लिए किसी भी आवर्ती व्यय हेतु वचनबद्ध नहीं होगा ;

परन्तु आगे यह भी कि जहां कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई ऐसी कोई विश्वविद्यालय की सेवा पर प्रभाव डालती हो, वहां ऐसा व्यक्ति उस दिनांक से, जिसको कि ऐसी कार्रवाई की सूचना दी गई हो, तीस दिवस के भीतर कार्यकारिणी समिति को पुनरावेदन करने का अधिकारी होगा ;

परन्तु और यह भी कि, इस शक्ति का विस्तार अध्यादेशों, परिनियमों एवं विनियमों में संशोधन से सम्बन्धित किन्हीं मामलों या पदों के सृजन और नियुक्तियों से सम्बन्धित किन्हीं मामलों पर विस्तारित नहीं होगा.

(5) उपधारा (4) के अधीन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि सम्बन्धित प्राधिकारी, समिति या निकाय कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई का अनुमोदन न करे तो वह मामले को कुलाधिपति के समक्ष उल्लेखित करेगा. कुलाधिपति का निर्णय इस पर अंतिम होगा.

(6) उपधारा (4) के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई समुचित प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई समझी जायेगी, जब तक कि उपधारा (5) के अधीन किये गये निर्देश के प्राप्त होने पर कुलाधिपति द्वारा उपेक्षित न कर दी जाये या उपधारा (4) के द्वितीय परंतुक के अधीन पुनरावेदन के किये जाने पर कार्यकारिणी समिति द्वारा उपेक्षित न कर दी जाये.

(7) यदि कुलपति की राय में कोई प्राधिकारी, समिति अथवा निकाय की कार्रवाई विश्वविद्यालय के हितों के प्रति हानिकारक हो तो ऐसे प्रकरण में कुलपति अपना अभिमत अंकित कर कुलाधिपति को उल्लेखित करेगा तथा की गई कार्यवाही को सम्बन्धित प्राधिकारी, समिति अथवा निकाय को सूचित करेगा. प्रकरण पर लिया गया निर्णय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कुलाधिपति द्वारा धारा 10 के उपधारा (6) के अधीन निर्णय नहीं दिया जाता है.

(8) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावशील करेगा.

(9) कुलपति अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विहित की जावे.

धारा 20 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 20 की प्रविष्टि (1) का लोप किया जाये.

धारा 21 का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 21 का लोप किया जाये.

मूल अधिनियम में विश्वविद्यालय सभा तथा सभा के लिए कार्यकारिणी समिति शब्द का स्थापन.

9. इन्दिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1956 (क्रमांक 19 सन् 1956) में "विश्वविद्यालय सभा" तथा "सभा" शब्द जहां कहीं भी वे आये हों, के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी समिति" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 22 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित किया जाये—

(1) कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य होंगे-

(i) कुलपति ;

(ii) कुलाधिसचिव, यदि हो तो ;

(iii) विश्वविद्यालय के संस्थापक के उत्तराधिकारी ;

(iv) सभी अधिष्ठाता ;

(v) अधिष्ठाताओं के अतिरिक्त महाविद्यालय के दो प्राचार्य जो कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किये गये हों अथवा वरिष्ठता के आधार पर चक्रानुसरण से दो प्राचार्य ;

(vi) विश्वविद्यालय अध्ययन विभाग का एक प्राध्यापक और प्राध्यापक न होने की स्थिति में एक प्रवाचक जो कुलाधिपति द्वारा वरिष्ठता के चक्रानुसरण से नियुक्त किया गया हो ;

(vii) छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अथवा उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति, जो उपसचिव से न्यून श्रेणी का न हो ;

(viii) कुलाधिपति द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति ;

(ix) राज्य विधान सभा द्वारा मनोनीत छत्तीसगढ़ विधान सभा के चार सदस्य.

(2) उपधारा (1) के (v), (vi), (viii) तथा (ix) में कार्यकारिणी सदस्यों का कार्यकाल अधिनियम की धारा 52 के अध्यधीन तीन वर्ष का होगा.

(3) अध्यक्ष को मिलाकर पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी.

धारा 26 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 26 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, यथा :—

कार्यकारिणी समिति को छोड़कर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य.

इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए, कार्यकारिणी समिति को छोड़कर विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्ति एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियम द्वारा विहीत किये जायें.

धारा 32 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये :—

परिनियम निर्माण.

(1) कार्यकारिणी समिति, नीचे दर्शाये तरीके से, समय-समय पर परिनियम निर्माण कर सकेगी, संशोधन कर सकेगी या विलोपित कर सकेगी.

(2) कार्यकारिणी समिति से पारित कराने के लिए कुलपति कार्यकारिणी के समक्ष किसी परिनियम का प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसे प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा.

(3) उपधारा (2) के अन्तर्गत सन्दर्भित ऐसे प्रारूप को कार्यकारिणी समिति सहमति देकर परिनियम पारित कर सकती है या उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसके पूरे भाग या किसी एक भाग, कार्य-कारिणी द्वारा सुझाए संशोधनों सहित, कुलपति को पुनर्विचार हेतु वापिस कर सकती है.

परन्तु कुलपति ऐसे किसी परिनियम को प्रस्तावित नहीं करेगा या किसी ऐसे परिनियम में संशोधन नहीं रखेगा जिससे विश्वविद्यालय के विद्यमान प्राधिकारी की शक्ति और गठन प्रभावित होते हों, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्ताव पर अपना मत व्यक्त करने का मौका न दिया गया हो तथा ऐसा कोई मत लिखित में हो तथा कार्यकारिणी द्वारा विचारित किया जायेगा.

(4) उपधारा (3) के अन्तर्गत वापिस किये गये प्रारूप पर कुलपति द्वारा कार्यकारिणी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन सहित, यदि कोई हो, आगे विचार करने के पश्चात् उसे पुन: कार्यकारिणी समिति के समक्ष कुलपति के प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसके बाद कार्यकारिणी समिति उसका निराकरण करेगी जैसा वह उचित समझे.

(5) हर नया परिनियम अथवा परिनियम में कोई जोड़ या परिनियम में संशोधन या परिनियम के निरस्तीकरण के लिए कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी जो उसे स्वीकृत कर सकेगा, अस्वीकृत या आगे विचार के लिए वापिस कर सकेगा.

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक/6885/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ इंदिरा कला-संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 12 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2005)

THE INDIRA KALA SANGIT VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act to amend Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1956 (No. XIX of 1956).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definition.

2. In this Act unless the context othrwise requires :—

"Principal Adhiniyam" means the Indira Kala Sangit Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1956 (No. XIX of 1956).

Amendment of Section 12.

3. For section 12 of the Principal Adhiniyam, following shall be substituted namely :—

(1) The Kulapati shall be appointed by the Kuladhipati from a panel of not less than three persons recommended by the Committee constituted under sub-section (2) of sub section (6) :

Provided that if the person or persons approved by the kuladhipati out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Kuladhipati may call for fresh recommendations from such committee.

(2) The Kuladhipati shall appoint a committee consisting of the following persons, namely :

(i) One person elected by the Karyakarini Samiti ;

(ii) One person nominated by the Chairman of the University Grants Commission ;

(iii) One person nominated by the Kuladhipati.

The Kuladhipati shall appoint one of the three persons to be the Chairman of the committee.

(3) For constituting the committee under sub-section (2), the Kuladhipati shall, six months before the expiry of the term of the Kulapati, call upon Karyakarini Samiti and the Chairman of the University Grants Commission to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the communication in this regard, the Kuladhipati may, nominate any as nominee for the committee.

(4) No person who is connected with the Vishwavidyalaya or any college shall be elected or nominated on the committee under sub-section (2).

(5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may by extended by the Kuladhipati.

(6) If for any reasons the committee constituted under sub-section (2) fails to submit the panel within the period specified in sub-section (5) the Kuladhipati shall constitute another committee consisting of three persons not connected with the Vishwavidyalaya or any college, one of whom shall be designated as the Chairman. The committee so constituted shall submit a panel of not less than three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution.

(7) If the committee constituted under sub-section (6) fails to submit the panel within the period specified therein, the Kuladhipati may appoint any person whom he deems fit, to be the Kulpati.

Amendment of Section 12-A.

4. for section 12-A of the Principal Adhiniyam the following section shall be substituted namely :—

(1) The Kulpati shall be a whole-time salaried officer of the Vishwavidyalaya and his emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by the Statutes.

(2) The Kulpati shall hold office for a term of four years and shall not be eligible for appointment for more than two terms :

Provided that he shall cease to hold office on attaining the age of 65;

Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not in any case exceed six months.

(3) The person holding office of the Kulpati in the Vishwavidyalaya immedietly before the commencement of this Sanshodhan Adhiniyam shall continue to hold his office till the expiry of his term of office notwithstanding anything contained in the proviso to sub-section (2).

(4) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of the Kulpati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, the Kuladhisachiva and if no Kuladhisachiva has been appointed or if the Kuladhisachiva is not available, the Adhishthata of any faculty or the senior most professor of Vishwavidyalaya teaching department nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as the Kulapati until the date on which the Kulapati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of section 12, enters or re-enters as the case may be upon his office :

Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

Amendment of Section 12-B.

5. Section 12-B of the Principal Adhiniyam shall be omitted.

Amendment of Section 13.

6. For section 13 of the Principal Adhiniyam, following shall be substituted namely :—

(1) The Kulapati shall be the principal administrative and academic officer of the Vishwavidyalaya. He shall be an ex-officio member and Chairman of the Karyakarini Samiti and of the Vidya Parishad and Chairman of the Vitta Samiti and Chairman of such other authorities, committees and bodies of the Vishwavidyalaya of which he is a member. He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the Vishwavidyalaya but shall not be entitled to vote thereat unless he is a member of such authority, committee or body.

(2) It shall be the duty of the Kulapati to ensure that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(3) The Kulapati shall have the power to convene meetings of the Karyakarini Samiti, the Vidya Parishad and of such other authorities, committees and bodies of the Vishwavidyalaya of which he is the Chairman. He may delegate this power to any other officer of the Vishwavidyalaya.

(4) If in the opinion of the Kulapati any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, the Kulapati shall take such actions as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer, authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter :

Provided that the action taken by the Kulapati shall not commit the Vishwavidyalaya to any recurring expenditure for a period of more than three months;

Provided further that where any such action taken by the Kulapati affects any person in the service of the Vishwavidyalaya such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the karyakarini Samiti ;

Provided also that this power shall not extend to matters regarding amendment in the Ordinances, Statutes, Regulations or any matter relating to appointments.

(5) On receipt of a report under sub-section (4) of the authority, committee or body concerned does not approve the action taken by the Kulapati, Kulapati shall refer the matter to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

(6) The Action taken by the kulapati under sub-section (4) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Kuladhipati on a reference made under sub-section (5) or is set aside by the Karyakarini Samiti on an appeal under the Second proviso to sub-section (4).

(7) If in the opinion of the Kulapati, any proceeding of any authotity, committee or other body of the Vishwavidyalaya is likely to be prejudicial to the interest of the Vishwavidyalaya, he shall record his reasons and refer the matter to the kuladhipati and so inform the authority, committee or other body concerned whereupon the decision concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the Kuladhipati under sub-section (6) of section 10.

(8) The Kulapati shall exercise general control over the affairs of the Vishwavidyalaya and shall give effect to the decisions of the authorities of the Vishwavidyalaya.

(9) The Kulapati shall exercise such other power as may be prescribed by the Statutes, Ordinance and Regulations.

Amendment of Section 20.

7. Entry (1) of Section 20 of the Principal Adhiniyam shall be omitted.

Amendment of Section 21.

8. Section 21 of the Principal Adhiniyam shall be omitted.

Substitution of words "Karyakarini Samiti" for the words "Sabha" in the Principal Adhiniyam.

9. In the Indira Kala Sangit Vishwavidalaya Adhiniyam, 1956 (No. XIX of 1956) for the words "Vishwavidyalaya Sabha" or "Sabha" wherever they occur the words "Karyakarini Samiti" shall be substituted.

Amendment of Section 22.

10. For Section 22 of the Principal Adhiniyam the following section shall be substituted, namely :—

Karyakarini Samiti.

(1) The Karyakarini Samiti shall consist of the following persons namely :—

(i) The Kulapati,

(ii) The Kuladhisachiv, if any,

(iii) The successor of the founders of the Vishwavidyalaya,

(iv) The Adhishthatas,

(v) Two principal, other than adhisthatas of colleges to be appointed by the Kuladhipati by rotation according to seniority.

(vi) One Professor, and if there is no Professor, one Reader to the Vishwavidyalaya Teaching Department shall be appointed by the Kuladhipati by rotation according to seniority.

(vii) The Secretary, Higher Education or his representative, not below the rank of Dy. Secretary.

(viii) Two persons nominated by the Kuladhipati..

(ix) Four members of the Chhattisgarh Vidhan Sabha, nominated by the rajya vidhan Sabha.

(2) The term of office of persons becoming members of the Karyakarini Samiti under items : (v), (vi), (viii) and (ix) shall, subject to Section 52 of the Adhiniyam, be 3 years.

(3) Five members inclusive of the Chairman shall form a quorum.

Amendment of Section 26.

11. For section 26 of the Principal Adhiniyam the following shall be substituted, namely :—

Powers and duties of authorities of the Vishwavidyala, save that of Karyakarini Samiti.

Subject to the provisions of this adhiniyam the constitution, powers and duties of the authorities of the Vishwavidyalaya, save that of the Karyakarini Samiti shall be prescribed by the Statutes.

Amendment of Section 32.

12. For Section 32 of the Principal Adhiniyam the following shall be substituted, namely :—

Statutes how made.

(1) The Karyakarini Samiti may, from time to time, make, amend or repeal any statute in the manner hereinafter.

(2) The Kulapati may propose to the Karyakarini Samiti the draft of any Statutes to be passed by the karyakarini Samiti, and such draft shall be considered by the Karyakarini Samiti at its next meeting.

(3) The Karyakarini Samiti may approve of any such draft as is referred to in sub-section (2) and pass the Statute or reject it or return it to the kulapati for reconsideration either in whole or in part, together with any amendments which the karyakarini Samiti may suggest.

Provided that the kulapati shall not propose the draft of any Statute or of any amendment of a Statute affecting the powers or constitution of any existing authority of the Vishwavidyalaya until such authority has been given an opportunity

of expressing an opinion upon the proposal, and any opinion so expressed shall be in writing and shall be considered by the Karyakarini Samiti.

(4) After any draft returned under sub-section (3) has been further considered by the Kulapati together with any amendment suggested by the Karyakarini Samiti, it shall be again presented to the Karyakarini Samiti with a report of Kulapati thereon and the Karyakarini Samiti may then deal with the draft in any way it thinks fit.

(5) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal of a Statute shall require the previous approval of the kuladhipati who may sanction, disallow or remit it for further consideration.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.